संख्या सा 3-926/दस-98-308-97 टी० सी०

प्रेषक,

श्री आलोक रंजन,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 31 जुलाई, 1998

**विषय** :—वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 1997 को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप पेंशन/ग्रेच्युटी एवं राशिकरण की पुनरीक्षित दरों पर भुगतान—स्पष्टीकरण।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

उपरोक्त विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1720/दस-308-97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के प्रस्तर 4, 5 एवं 7 में पेंशन, ग्रेच्युटी एवं पेंशन के राशिकरण के संदर्भ में पुनरीक्षण के आदेश निर्गत किए गए हैं। राज्य सरकार में प्रभावी सामान्य व्यवस्था के अधीन ग्रेच्युटी एवं राशिकरण की धनराशि का आहरण विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा करके संबंधित पेंशनर को भुगतान किया जाता है।

2—उपरोक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 की व्यवस्था दिनांक 1 जनवरी, 1996 से प्रभावी की गई है। जो कर्मचारी दिनांक 1 जनवरी, 1996 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप तत्समय प्राप्त परिलब्धियों के आधार पर पेंशन आहरित कर रहा है तथा उसकी पेंशन के एक भाग का राशिकरण हो चुका है तथा उपादान की धनराशि भी प्राप्त कर चुका है। परन्तु कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 की व्यवस्था के अधीन उसकी पेंशन एवं ग्रेच्युटी का पुनरीक्षण किया गया है तथा पुनरीक्षित पेंशन के 40 प्रतिशत की धनराशि की सीमा तक राशिकरण भी अनुमन्य है। पेंशन के 40 प्रतिशत भाग के राशिकरण की प्रभावी होने की तिथि वही रहेगी जैसी कि पहली बार पेंशन राशिकरण के समय थी, यदि पेंशनर ने कोई अन्यथा विकल्प न दिया हो।

3—उपरोक्त वर्णित व्यवस्था के अधीन कार्यवाही करने के फलस्वरूप स्थिति यह हो रही है कि जो पेंशनर दिनांक 1 जनवरी, 1996 से अथवा उसके बाद अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से पेंशन आहरित कर रहा है और कालान्तर में पूर्व से कराए गए पेंशन के 1/3 भाग के राशिकरण के अतिरिक्त पुनरीक्षित पेंशन के 40 प्रतिशत की धनराशि की सीमा तक राशिकरण कराने का विकल्प देता है उन प्रकरणों में चूँकि पेंशन की धनराशि का पूरी दर पर भुगतान हो चुका है जबकि 40 प्रतिशत राशिकरण कराने के फलस्वरूप उसकी पेंशन को पूर्व राशिकरण की तिथि से कम की जानी है पेंशन की धनराशि का भुगतान कोषाधिकारी स्तर से पेंशन की पूरी दर पर हो रहा है और पुनरीक्षित ग्रेच्युटी एवं पुनरीक्षित दर पर राशिकरण की धनराशि का आहरण एवं भुगतान विभागाध्यक्ष स्तर से किया जा रहा है। चूँकि कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर पेंशन भुगतान के संदर्भ में स्थिति की जानकारी नहीं होती है, इसलिये उसके समायोजन में कठिनाई हो रही है। इस समस्या पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है एवं पुनरीक्षित उपादान की धनराशि का भुगतान विभाग स्तर पर आहरित करने के बजाय विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्वीकृति आदेश संबंधित कोषाधिकारी को प्रेषित करेंगे और यह भी निर्देशित करेंगे कि पेंशन राशिकरण व उपादान की धनराशि से पेंशन के रूप में भुगतान की गयी अधिक धनराशि को एक मुश्त समायोजित/वसूल कर लेंगे। जिन मामलों में ग्रेच्युटी तथा राशिकरण का भुगतान किया जा चुका है उन प्रकरणों में पेंशन की धनराशि से मासिक किश्तों में वसूली की जाय जिनकी मासिक किश्तें न्यूनतम 10 या अधिकतम 20 निर्धारित कर दी जायें।

4—उपरोक्त प्रस्तर-3 की व्यवस्था केवल कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1720/दस-308-97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के संदर्भ में ही लागू होगी।

भवदीय,
आलोक रंजन,
सचिव।

संख्या सा–3–926 (1)/दस–98–308-97 टी० सी०, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3—समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

5—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, विधान भवन, लखनऊ।

6—निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ० प्र०, लखनऊ।

7—निदेशक, कोषागार निदेशालय, जवाहर भवन, उ० प्र०, लखनऊ।

8—निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

9—उप सचिव, इरला चेक अनुभाग, सचिवालय, लखनऊ।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 77 सा० वित्त—(944)—10–8–98—12,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।